08-05-2023

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने रिवर-सिटीज एलायंस वैश्विक संगोष्ठी

समाचार पत्रों में क्यों?

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) के सहयोग से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने आज नई दिल्ली में 'रिवर-सिटीज एलायंस (आरसीए) वैश्विक संगोष्ठी : अंतर्राष्ट्रीय नदी-संवेदनशील शहरों के निर्माण के लिए साझेदारी' का आयोजन किया।

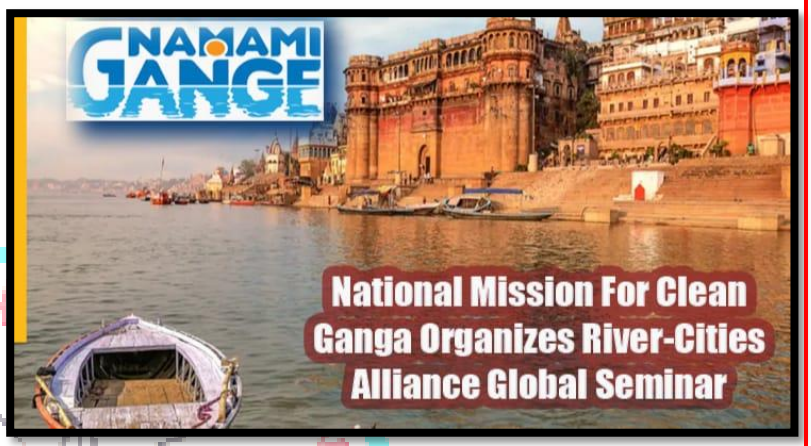

त्वरित मुद्दा?

- रिवर-सिटीज एलायंस वैश्विक संगोष्ठी का उद्देश्य शहरी नदियों के प्रबंधन के लिए अच्छे अभ्यासों पर चर्चा करने और सीखने के लिए सदस्य शहरों और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के अधिकारियों के लिए एक मंच प्रदान करना था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- RCA वैश्विक संगोष्ठी का उद्देश्य शहरी नदियों के प्रबंधन हेतु बेहतर अभ्यासों पर चर्चा करने एवं सीखने के लिये एक मंच प्रदान करना है।
- फरवरी 2023 में RCA - DHARA 2023 (ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर) की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहरी नदी प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों एवं उदाहरणों पर संगोष्ठी शामिल है।
- RCA जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) एवं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य नदी-शहरों को जोड़ना तथा सतत् नदी केंद्रित विकास पर ध्यान आकृष्ट करना है।
- यह एलायंस तीन व्यापक विषयों- नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर केंद्रित है।
- नवंबर 2021 में 30 सदस्य शहरों के साथ शुरू हुए इस एलायंस का विस्तार पूरे भारत में 110 नदी-शहरों और डेनमार्क के एक अंतर्राष्ट्रीय सदस्य शहर तक हो गया है।
- रिवर-सिटीज़ एलायंस का उद्देश्य शहरी नदी प्रबंधन के लिये नई प्रथाओं और दृष्टिकोणों को अपनाने के लिये भारतीय शहरों हेतु ज्ञान विनिमय (ऑनलाइन) की सुविधा प्रदान करना है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान

- NIUA शहरी विकास और प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं सूचना प्रसार हेतु एक संस्थान है। यह नई दिल्ली, भारत में स्थित है।
- इसे वर्ष 1976 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह संस्थान आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार; राज्य सरकारों; शहरी एवं क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों तथा शहरी मुद्दों से संबंधित अन्य एजेंसियों द्वारा समर्थित है।

- यह अंतर्राष्ट्रीय शहरों के लिये भी भारतीय शहरों के अनुभवों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा, जो कि उनके संदर्भ में प्रासंगिक हो सकता है।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन -**
  - इसे गंगा नदी के जीर्णोद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद भी कहा जाता है।
- यह मिशन 12 अगस्त, 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया।
- गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में संदर्भित) के गठन के परिणामस्वरूप 7 अक्तूबर, 2016 से NGRBA को विघटित कर दिया गया है।
- NMCG का उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और इसका कायाकल्प सुनिश्चित करना है।
- इस मिशन में मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र को पूर्व अवस्था में लाना और अधिक सक्षम बनाना तथा सीवेज के प्रवाह की जाँच के लिये रिवरफ्रंट पर निकास बिंदुओं पर प्रदूषण को रोकने हेतु तत्काल अल्पकालिक कदम उठाना शामिल है।

मणिपुर में अनुच्छेद 355

समाचार पत्रों में क्यों?

मणिपुर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में राज्य में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया।

त्वरित मुद्दा?

- अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में मेड़ती समुदाय को शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए बुधवार को 'आदिवासी एकजुटता मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने के बाद स्थिति गंभीर रूप से अस्थिर हो गई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए संघ के कर्तव्य से संबंधित है।
- संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है।
- अनुच्छेद 355 लगाने के बाद राज्य की सुरक्षा और वहां संविधान लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है।

- अनुच्छेद 355 आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है जो संविधान के भाग XVIII में शामिल अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 355 लगाने के बाद राज्य की सुरक्षा और वहां संविधान लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होजाती है।अनुच्छेद 360 तक में निहित है।
- सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने और राज्य में सामान्य स्थिति लाने के लिए आशुतोष सिन्हा, एडीजीपी (खुफिया) को समग्र ऑपरेशनल कमांडर नियुक्त किया।
- इस बीच, स्थिति को नियंत्रण में लाने और सामान्य स्थिति में लाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ)के 1075 कर्मियों को मणिपुर में तैनात किया गया है।
- वर्ष 1994 में 'एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' केस में फैसला आया था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्य संबंधों को परिभाषित किया और अनुच्छेद 356 से पहले अनुच्छेद 355 को पूरी तरह उपयोग करने को कहा। इसका मतलब हुआ कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले शांति बहाली और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 355 को अमल में लाए।

स्वैच्छिक दिवालियापन

समाचार पत्रों में क्यों?

गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड ने कहा कि वह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही के लिए दाखिल कर रही थी।

त्वरित मुद्दा?

- स्वैच्छिक दिवालियापन का मतलब है कि कंपनी ने स्वीकार किया है कि उसका व्यवसाय दिवालिया हो गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी कहती है कि वह कर्ज का भुगतान नहीं कर सकती है और इसे सुलझाने के लिए किसी की मदद की जरूरत है।
- जब कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो यह स्वैच्छिक परिसमापन के लिए आगे बढ़ सकती है।
- यह प्रक्रिया कंपनी के शेयरधारकों और लेनदारों से अनुमोदन के साथ कंपनी के विघटन को संदर्भित करती है।
- यह एक समयबद्ध प्रक्रिया है जिसे स्वैच्छिक परिसमापन शुरू होने की तारीख से 270 दिनों में पूरा करने की आवश्यकता है।
- एनसीएलटी एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है जो कंपनी अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले नागरिक प्रकृति के कॉर्पोरेट विवादों से निपटने के लिए निगमित है ।
- कंपनी अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा निपटाई जाएगी।

- एनसीएलटी बेंच की अध्यक्षता एक न्यायिक सदस्य द्वारा की जाती है, जिसे सेवानिवृत्त या सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक तकनीकी सदस्य माना जाता है, जो भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा, आईसीएलएस कैडर से होना चाहिए।
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी की दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए सहायक प्राधिकरण है।

जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग संवाद

समाचार पत्रों में क्यों?

जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग संवाद हाल ही में बर्लिन में आयोजित किया गया था। यह आगामी कॉप-28 की तैयारियों का जायजा लेने और उसकी आधारशिला रखने के लिए आयोजित किया गया था।

त्वरित मुद्दा?

- इसकी मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने की थी।पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का फोकस संयुक्त अरब अमीरात में कॉप-28 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की नींव रखने पर है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- कॉप-28 की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 40 देशों के मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया।
- एजेंडा आर्थिक सहयोग और विकास देशों के संगठन में 2030 तक कोयले को समाप्त करने और अन्य सभी में 2040 तक, साथ ही नेट शून्य बिजली उत्पादन प्राप्त करने और प्रमुख क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने का आह्वान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आमतौर पर कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। वर्ष 2023 का सम्मेलन 28 वां सम्मेलन होगा इसीलिए इसे कॉप-28 के रूप में जाना जाता है। यह एक्सपो सिटी, दुबई में आयोजित किया जाएगा।
- सम्मेलन 1992 में पहले संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते के बाद से सालाना आयोजित किया गया है कॉप-27 मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था।
- **इस बैठक में शामिल है:**
  - पार्टियों के सम्मेलन की 28 वीं बैठक (COP 28)
  - पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में सेवारत सीओपी की पांचवीं बैठक
  - क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्यरत सीओपी की 18वीं बैठक
  - कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय की 59 वीं बैठक
  - वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय की 59 वीं बैठक